

किफायती आवास निधि (एएचएफ)

यथा 09.01.2019 को किफायती आवास निधि (एएचएफ) – भाग 2 के तहत रा.आ.बैंक के साथ उपलब्ध निधियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

(₹ करोड़ में)

	एएचएफ
01.01.2019 को प्राप्त निधि	2500
उपलब्ध निधि	2308

इस निधि का उपयोग प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि द्वारा ग्रामीण और शहरी श्रेणी में आने वाले 01-04-2017 को या इसके बाद संस्वीकृत या संवितरित व्यक्तिगत आवास ऋणों को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा। इस योजना का विवरण रा.आ.बैंक की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

जिन दरों पर राष्ट्रीय आवास बैंक प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को ऋण देगा और एएचएफ – भाग 2 के तहत उस पर ब्याज प्रभारण सीमा नीचे दिया गया है:

निधि	प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई)	ब्याज दर (स्थिर)	ब्याज प्रभारण सीमा
एएचएफ	आवास वित्त कंपनियां, शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि।	4.93% प्रति वर्ष	4.93% प्रति वर्ष जमा 350बीपीएस
	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4.93% प्रति वर्ष	एमसीएलआर जमा 100बीपीएस

किफायती आवास निधि (एएचएफ)

यथा 30.11.2018 को किफायती आवास निधि (एएचएफ) के तहत रा.आ.बैंक के साथ उपलब्ध निधि की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

(₹ करोड़ में)

	एएचएफ
प्राप्त निधि	2500
उपलब्ध निधि	Nil

योजना का विवरण रा.आ.बैंक की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।